फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 07/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.03.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः /सू.अधि. /2020/21 दिनांक 14.02.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार श्री गोपाल कंसारा निवासी देवगढ़ द्वारा श्रीमान लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2019 को पेश किया गया। जो इस कार्यालय को दिनांक 06.01.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में 6 बिन्दुओं में सूचना मांगी गयी जो इस कार्यालय में उपलब्ध रेकार्डानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः सू.अधि./2020/3–4 दिनांक 09.01.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचना भेजी गई। आवेदक को प्रेषित सूचना से संतुष्ट नही होने पर 07 दिवस में कार्यालय दिवस में व्यक्तिश उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने हेतु सूचित कर दिया गया। आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार हैं। तहसील कार्यालय भू अभिलेख शाखा की जावक पंजिकानुसार दिनांक 08.11.2016 को कोई आदेश जारी नही हुआ, संदर्भ के लिए जावक पंजिका की फोटो प्रति भेजी गई हैं। आदेश जारी नही हुआ हैं, सूचना दिया जाना सम्भव नही हैं। अपील के बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में निवेदन है कि हल्का पटवारी ने नियमों की जानकारी के अभाव में बिना आवेदन पत्र का विधुत विभाग से अवलोकन किये पूर्व नियमों के तहत रिपोर्ट दी हैं। जबकि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 1) विभाग के मिटींग कार्यवाही विवरण क्रमांक प.13 (34) राज/ग्रुप–1/2012 जयपुर दिनांक 01.08.2012 अन्तिम पैरा – कृषि कूप पर नया/शिफ्ट विधुत कनेक्शन हेतु प्रमाण पत्र :– नोडल विभाग – ऊर्जा विभाग कृषि कनेक्शन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये जमाबन्दी/नक्शा आदि राजस्व रेकार्ड को ही ऊर्जा विभाग द्वारा मान्य किया जावेगा। कृषि कनेक्शन हेतु प्रमाण पत्र राजस्व कर्मचारियों (पटवारी/गिरदावर/तहसीलदार) द्वारा जारी करने की प्रथा समाप्त की गई। ऊर्जा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी स्वयं के स्तर पर सत्यापन करेंगे। आवेदक स्वयं को विधुत आवेदन पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देवगढ द्वारा क्रमांक/सू.अ./2018/10 दिनांक 01.08.2018 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया गया। और प्रमाण पत्र पर तहसीलदार के	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हस्ताक्षर नही हैं। मात्र नियमों की जानकारी के अभाव में पटवारी के हस्ताक्षर हैं जिसके लिए वो उतरदायी नही हैं। आवेदक द्वारा कृषि कनेक्शन विधुत आवेदन पत्र की प्रति चाही गयी इस संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 जून 2008 के बिन्दु संख्या (3) के अनुसार कोई व्यक्ति लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य लोक प्राधिकरण के पास हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहियें कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरण में अलग से आवेदन करें। कृषि विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन विधुत विभाग में जमा हैं। आवेदक को अवगत करा दिया गया था। आवेदक बिना किसी जनहित के बार–बार अनेक आवेदन लगाकर एक ही सूचना मांगकर सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरूपयोग कर रहा हैं।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ के द्वारा अपीलार्थी को आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2019 के बिन्दु सं0 01 से 06 तक की सूचना के संबंध में तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अधि./2020/3–4 दिनांक 09.01.2020 से अपने कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्धानुसार सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकि है।

अतः तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में और कोई सूचना दिया जाना शेष नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)